



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ 1947 (श10)  
(सं0 पटना 186) पटना, सोमवार, 9 फरवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना  
5 फरवरी 2026

सं० सं० 1/COSS 10-01/2020, श्र०सं० 15—विभिन्न श्रम संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावलियों का सूत्रण किया गया है एवं इन्हीं संहिताओं के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट नियमावलियों का बिहार राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में ड्राफ्ट नियमावलियों पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व में निर्धारित 45 दिनों की अवधि को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है।

क्र० सं०	ड्राफ्ट नियमावलियों का नाम	गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि	आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि (गजट में प्रकाशन की तिथि से)	विस्तारित अवधि
1	ड्राफ्ट वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या—1753, दिनांक—05-12-2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक—15 फरवरी, 2026 तक
2	ड्राफ्ट औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या—1754, दिनांक—05-12-2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक—15 फरवरी, 2026 तक
3	ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (बिहार)	गजट संख्या—1762,	गजट में प्रकाशन की तिथि	दिनांक—

क्र० सं०	ड्राफ्ट नियमावलियों का नाम	गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि	आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि (गजट में प्रकाशन की तिथि से)	विस्तारित अवधि
	नियमावली, 2025	दिनांक-10-12-2025	से 45 दिन	15 फरवरी, 2026 तक
4	ड्राफ्ट बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली, 2025	गजट संख्या-1794 दिनांक-19-12-2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक-15 फरवरी, 2026 तक

उक्त ड्राफ्ट नियमावलियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त, बिहार को अथवा [lcbihar@bihar.gov.in](mailto:lcbihar@bihar.gov.in) पर ईमेल से भेजा जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 186-571+200-डी0टी0पी0  
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>

UNCOMPLIANCE  
Simplifying Compliance